नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2002

का. नि. आ. 282.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना समूह 'ख' राजपत्रित पद (सिविलियन शिक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 को अधिक्रांत करते हुए, नौसेना में सिविलियन शिक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना (सिविलियन शिक्षा अधिकारी) समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

"अनुसूची"

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. सिविलियन शिक्षा अधिकारी	3* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	7500-250-12,000 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
10	11	12
लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति : सिविलियन शिक्षा अनुदेशक—1 जिसने अपनी श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे : 1. सहायक प्रधान, कार्मिक (सिविलियन कार्मिक), नौसेना मुख्यालय —अध्यक्ष 2. निदेशक, सिविलियन कार्मिक, नौसेना मुख्यालय —सदस्य 3. उप निदेशक, नौसेना शिक्षा, नौसेना मुख्यालय —सदस्य 4. अवर सचिव डी (नियुक्तियां), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सी.पी.(जी.)/1503/734/आर आए/रक्षा (नि.)/2002]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th December, 2002

S. R. O. 282.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Neavy Group 'B' Gazetted post (Civilian Educational Officer) Recruitment Rules, 1991, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Educational Officer in the Navy, namely :—

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Navy (Civilian Educational Officer) Group 'B' Gazetted post Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other back ward class , and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection by merit or selection-cum seniority or Non-selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Civilian Educational Officer	3*(2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 7500-250-12000	Selection-cum-Seniority	Not Applicable

Whether Benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Civil Services Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and % of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

In case of recruitment by promotion deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
PROMOTION Civilian Educational Instructor-1 with three years' regular service in the grade. Note :—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :** 1. Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel), Naval Headquarters —Chairman 2. Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters —Member 3. Deputy Director of Naval Education, Naval Headquarters —Member 4. Under Secretary D(Apptts) Ministry of Defence —Member	Consultation with Union Publlic Service Commission not necessary.

[No. CP (G)/1503/734/RR/D(Apptts)/2002]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.